मल्टीमीडिया प्रशिक्षण किट

संघ बनाने की स्वतंत्रता और एकत्रित होने की स्वतंत्रता का हैंडआउट

डेविड सौतेर् द्वारा विकसित

मल्टीमीडिया प्रशिक्षण किट

……..1

संघ बनाने की स्वतंत्रता और एकत्रित होने की स्वतंत्रता का

हैंडआउट……..2

इस दस्तावेज के बारे में----------

कॉपीराइट सूचना ……

मॉड्यूल की रूपरेखा …….

संघ बनाने की स्वतंत्रता और एकत्रित होने की स्वतंत्रता …….

संघ बनाने की स्वतंत्रता और एकत्रित होने की स्वतंत्रता के ऊपर इंटरनेट का प्रभाव …….

विशिष्ट मुद्दे …….

सारांश

इस दस्तावेज के बारे में

यह सामग्री मल्टीमीडिया प्रशिक्षण किट (MMTK) का एक हिस्सा है. MMTK एकीकृत रूप में मल्टीमीडिया आधारित प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करता है जिसका प्रयोग समुदाय

मीडिया, समुदाय के मल्टीमीडिया प्रशिक्षण केंद्र, टेलेसेन्ट्रेस, और सूचना और संचार तकनीकी के द्वारा किए गए अन्य हस्तक्षेपों द्वारा समुदायों को सशक्त करना है तथा विकास के कामों में मदद करनी है.

इस मॉड्यूल तो एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशन (APC) द्वारा बनवाया गया है और स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कारपोरेशन एजेंसी (SIDA) द्वारा सहायता दी गयी है.

कॉपीराइट सूचना

यह इकाई क्रिएटिव कॉमन्स BY-NC-SA (ऍट्रीब्यूशन -नॉन कमर्शियल-शेयरअलाइक) लाइसेंस के अंतर्गत तैयार की गयी है। इस सामग्री का किस तरह इस्तेमाल किया जाए यह जानने के लिए इस इकाई के साथ संलग्न कॉपीराइट वक्तव्य पढ़ें, यह जानकारी creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode पर भी उपलब्ध है.

मॉड्यूल की रूपरेखा

प्रशिक्षण मॉड्युलों की श्रृंखला में यह तीसरी कड़ी है जो कि मानवाधिकार, आईसीटी और इंटरनेट के बीच के संबंधों को रेखांकित करती है. इस मॉड्यूल का उद्देश्य है उन सभी को, जो कि मानवाधिकार, आईसीटी और इंटरनेट पर काम करते हैं, और अन्य लोग जो इनमे रूचि रखते हैं उनको यह बताया जाए की किस तरह इंटरनेट के आने के बाद -इन अधिकारों का प्रयोग निरंतर किया जा सकता है - और इसका वर्तमान और भविष्य में उनके काम पर क्या असर पड़ेगा.

इस मॉड्यूल के द्वारा इंटरनेट, संघ बनाने की स्वतंत्रता और एकत्रित होने की स्वतंत्रता के बीच के संबंधों को रेखांकित करने का प्रयास किया जाएगा.

इस टेक्स्ट हैंड आउट के साथ साथ, मॉड्यूल में शामिल है प्रेजेंटेशन स्लाइड्स,केस स्टडीज और अभ्यास सामग्री और अतिरिक्त प्रश्नों की एक सूची. यह निम्न सैद्धांतिक प्रश्न उठाता है:

1. संघ बनाने की स्वतंत्रता और एकत्रित होने की स्वतंत्रता का क्या मतलब है?

2. इस अंतर्राष्ट्रीय अधिकार प्रबंधन के सन्दर्भ में इन पर किस तरह की सीमाएं लागू होती हैं और अन्य अधिकारों के साथ इनका क्या सम्बन्ध है?

3. संघ बनाने की स्वतंत्रता और एकत्रित होने की स्वतंत्रता के ऊपर इंटरनेट के आविर्भाव का क्या असर पड़ा है?

4. इंटरनेट के आविर्भाव के बाद इन अधिकारों के बीच के संबंधों के ऊपर क्या असर पड़ा है , जिसमे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता और निजता की स्वतंत्रता शामिल है ?

5. इंटरनेट के आविर्भाव के बाद इन अधिकारों की सीमाओं और उनके अतिक्रमण पर क्या असर पड़ा है?

6. अधिकारों पर काम करने वाले विशेषज्ञों को इंटरनेट के आविर्भाव से बदलती परिस्थिती का अपने कार्य क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन के मसले को किस तरह देखना चाहिए?

इस श्रृंखला के अन्य मॉड्यूल निम्न पर प्रकाश डालेंगे:

1. मानवाधिकार और इंटरनेट का पुनरावलोकन

2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और सूचना की स्वतंत्रता

3. एकांत का अधिकार

इस हैंड आउट की शुरुआत होगी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और सूचना की स्वतंत्रता के सन्दर्भ पर प्रकाश डालने से.

- खंड 2 सार प्रस्तुत करता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और सूचना की स्वतंत्रता के अंतर्राष्ट्रीय अधिकार प्रबंधन के परिपेक्ष्य में
- खंड 3 प्रकाश डालेगा कि किस प्रकार आई सी टी और इंटरनेट के आने के बाद इन दोनों अधिकारों के क्रियान्वयन, लागू करने और उनके अतिक्रमण पर असर पड़ा है ?
- खंड 4 इन दोनों अधिकारों के कारण व्यक्तिगत मुद्दों पर होने वाले असर और उनके संबंधों पर प्रकाश डालेगा जिनमे शामिल होंगे उनके क्रियान्वयन, उनका अतिक्रमण और उनको लागू करने की प्रक्रिया
- खंड 5 ऊपर के चारों का एक सारांश प्रस्तुत करेगा

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और सूचना की स्वतंत्रता

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और सूचना की स्वतंत्रता अंतर्राष्ट्रीय अधिकार प्रबंधन के परिपेक्ष्य में महत्त्वपूर्ण अधिकार हैं. आधारभूत सिद्धांत यह है कि -सभी को यह अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित हो सकते हैं और संघ बना सकते हैं. जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स (यूडीएचआर) के अनुछेद 20 में निहित है और रेखांकित है कि किसी को भी संघ बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में संघ बनाने के अधिकार गुणात्मक और ऋणात्मक दोनों ही पहलू से देखे जा सकते है.

संघ और एकत्र होने के बीच में अँतरभेद को समझना जरूरी है. संघ बनाने की आज़ादी का तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों को इस बात की आज़ादी है प्राप्त है कि वो किसी भी व्यक्ति के साथ मिल कर किसी भी प्रकार का संघ बना सकता है और यह संघ औपचारिक या अनौपचारिक किसी भी तरह का हो सकता है। संघ का दायरा बहुत बड़ा है और इसमें सामाजिक समूह जो राजनैतिक गतिविधियों से सम्बंधित हों वे भी शामिल हो सकते हैं . एक संघ, पिछले वाक्य की भावना के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने परिभाषित किया था 2102 की अपनी रिपोर्ट में जिसके अनुसार विचार संघ "ऐसे व्यक्तियों का समूह है या विधियुक्त संस्थाएं जिनको एक मंच पे लाया गया है ताकि वो सामूहिक रूप से किसी भी विषय के ऊपर विचार व्यक्त करें, उसका बचाव करें, अपने विचारों को प्रतिपादित करें और सामूहिक रूप से कार्रवाई करें".

इस तरह के संघ के उद्देश्य बहुत ही भिन्न तरह के हो, सकते हैं, उदहारण के लिए किसी खेल से सम्बंधित संघ, कोई सामाजिक संघ, किसी आस्था से सम्बंधित संघ, महिलाओं का समूह, किसी पेशे विशिष्ट से सम्बंधित इत्यादि। ये संघ औपचारिक भी हो सकते हैं और अनौपचारिक भी, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भी. सामान्यतः संघ की भावना इन सभी उदाहरणों में लागू होने के साथ साथ, संघ बनाने की स्वतंत्रता से मूलतः तात्पर्य है एक ऐसे समूह का जो जो कि श्रमिकों के रोजगार सम्बंधित अधिकारों से जुड़ा हो,विशेषतः किसी यूनियन में शामिल या न शामिल होने की स्वतंत्रता के परिपेक्ष्य में. नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (ICCPR), जो अपने जनादेश के भीतर अधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी दर्जा देता है (अनुच्छेद 22 में) एसोसिएशन के अधिकार के अपने प्रस्तावना में यह स्पष्ट करता है:

“हर किसी को दूसरों के साथ संघ की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, जिसमें अपने हितों की रक्षा के लिए ट्रेड यूनियनों बनाने और शामिल होने का अधिकार भी शामिल है।“

ट्रेडों यूनियनों के खुद के अधिकार, जिसमें शामिल है राष्ट्रीय कानून के अनुरूप हड़ताल करने के अधिकार, जो कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (ICESCR) के अनुच्छेद 8 में लिखे गए हैं, ICCPR की तरह जो, अपने जनादेश के भीतर अधिकार को कानूनी दर्जा देता है. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन भी इन मुद्दों की वकालत करते हैं।

यूडीएचआर और ICCPR, कुछ अन्य क्षेत्रों में associational अधिकार पर प्रकाश डालते हैं, उदाहरण के लिए, "दूसरों के साथ मिलकर" पूजा करने के लिए धार्मिक अनुयायियों के अधिकार के माध्यम से, (ICCPR के अनुच्छेद 18), और "उनके समूह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर" अपनी संस्कृति, धर्म और भाषा आनंद लेने के लिए जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के सदस्यों के अधिकार. (ICCPR के अनुच्छेद 27).

अपने 2012 की रिपोर्ट में, संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने एक जनसमूह को परिभाषित किया है- अंतरराष्ट्रीय अधिकार शासन के प्रयोजन के लिए: एक विशेष उद्देश्य के लिए एक निजी या सार्वजनिक स्थान में तय दिन पर बुलाई गयी या अस्थायी सभा "के रूप में एकत्र हुए लोगों को जनसमूह कहते हैं. एकत्र हुए लोगों की सभा को ICCPR के अनुच्छेद 21 में को परिभाषित किया है, जिसका पहला खंड कहता है कि, “शांतिपूर्ण विधानसभा के अधिकार को मान्यता दी जाएगी”, केवल कुछ विशिष्ट प्रतिबंध को छोड़कर (नीचे देखें)

संघ और एकत्र होने की स्वतंत्रता अपने आप में सीमित नहीं हैं पर निजी और सामाजिक संबंधों के विषय में संबंधित अधिकारों की एक श्रृंखला का हिस्सा हैं जो यूडीएचआर और ICCPR दोनों में प्रदत्त हैं, और उस संदर्भ में उपयोगी माना जाता है. ये अधिकार हैं:

- आस्था की स्वतंत्रता ("विचार, अन्तरात्मा और धर्म"), जिसमे शामिल है अधिकार विश्वास प्रकट करने के लिए (जैसे पूजा और शिक्षण के माध्यम से) (यूडीएचआर और ICCPR के अनुच्छेद 18)
- राय की स्वतंत्रता (यूडीएचआर के अनुच्छेद19, ICCPR का19 (1))
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (यूडीएचआर के अनुच्छेद19, ICCPR का19 (1))
- जानकारी के लिए उपयोग की अधिकार (यूडीएचआर के 19 अनुच्छेद में निहित, 19 (1) ICCPR का)
- एसोसिएशन की स्वतंत्रता(ICCPR की यूडीएचआर के अनुच्छेद 20, 22)
- एकत्र होने की स्वतंत्रता (ICCPR की यूडीएचआर के अनुच्छेद 20, 21)
- स्वतंत्रता राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन सहित लोकतांत्रिक चुनाव, में भाग लेने के लिए(यूडीएचआर के अनुच्छेद 21, ICCPR का 25)
- स्वतंत्रता सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने के लिए और अपनी भाषा का उपयोग करने के लिए(यूडीएचआर के अनुच्छेद 27, ICCPR का 27)
- संघ की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता और इन अन्य अधिकारों में से कुछ के बीच के रिश्ते नीचे चित्र 1 में सचित्र है।

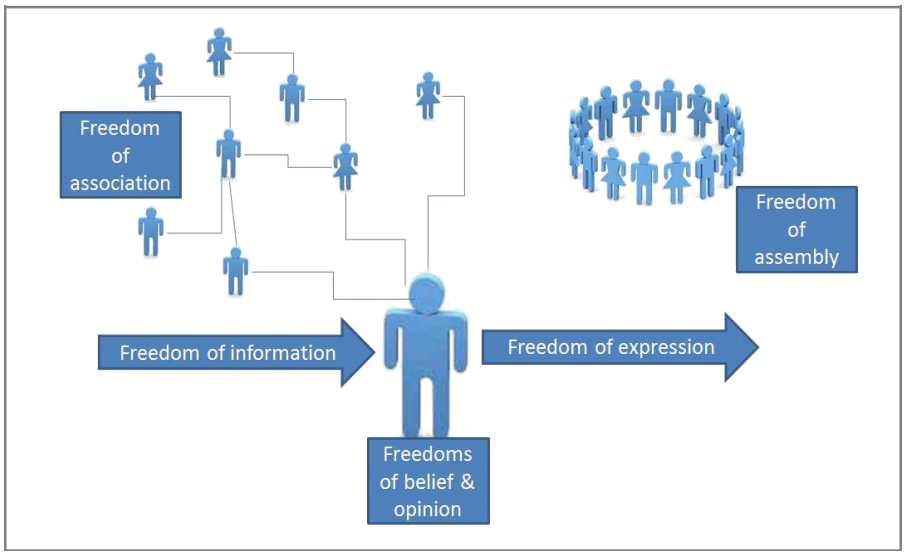

अंतरराष्ट्रीय शासन में अन्य अधिकारों के साथ, सरकारों के लिए आवश्यक है, न केवल अधिकारों के साथ हस्तक्षेप या उल्लंघन करने से परहेज करें, (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) लेकिन यह सुनिश्चित करें कि तीसरे पक्ष का कोई हस्तक्षेप इस क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न न करे.

ये अधिकार तथापि बिना शर्त नहीं हैं। एकत्र होने की स्वतंत्रता के अधिकार स्पष्ट रूप से केवल "शांतिपूर्ण विधानसभा" को संदर्भित करता है. संघ की स्वतंत्रता के बारे में, ICCPR प्रावधानों के साथ कहता है कि:

इस अधिकार के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं रखा जा सकता है उनके अलावा कोई और जो कानून द्वारा निर्धारित हैं और जो जरूरी हैं राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में एक लोकतांत्रिक समाज में, सार्वजनिक व्यवस्था (Ordre सार्वजनिक) सार्वजनिक स्वास्थ्य या नैतिकता की सुरक्षा या दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए.

जहां तक एकत्र होने की स्वतंत्रता का संबंध है, अन्य समान शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है- "कानून द्वारा निर्धारित" के लिए "कानून के अनुरूप" के प्रतिस्थापन का.

ये प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जैसे हैं (मॉड्यूल 2 देखें) और किसी भी सीमा के औचित्य के लिए एक समान परीक्षण की स्थापना, यानी कि यह कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है और यह विशिष्ट प्रयोजनों से संबंधित है, (सार्वजनिक सुरक्षा, आदेश, स्वास्थ्य, नैतिकता या दूसरों के अधिकारों का संरक्षण) और यह कि इस तरह के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है. संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के अनुसार, प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता जिन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है वो शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता के पक्ष में एक अनुमान का प्रतिनिधित्व करता है, कि निहितार्थ के साथ लगाए गए किसी भी प्रतिबंध को पारदर्शी होना चाहिए, आवश्यक हो, आनुपातिक और अपील करने के लिए उत्तरदायी। हालांकि, इन प्रतिबंधों की व्याख्या- "शांतिपूर्ण" एकत्र होने की प्रकृति”- सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के लिए खतरे की- और विभिन्न दलों के अधिकारों के बीच इंटरफेस- में राष्ट्रीय सीमाओं के बीच अंतर्भेद है.

संघ और एकत्र होने की स्वतंत्रता पर इंटरनेट का प्रभाव

इंटरनेट के अस्तित्व में आने से पहले अंतरराष्ट्रीय अधिकारों के साधन पर आम सहमति बन चुकी थी। इंटरनेट, और इसके प्रभाव, और इसके विपरीत, इसलिए बहस और व्याख्या का विषय रहा है. एकत्र होने की स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता पर विशेष रिपोर्टर ने उनकी 2012 की रिपोर्ट उल्लेख किया कि उनका भविष्य के काम में

और अधिक बारीकी से इन अधिकारों पर इंटरनेट के प्रभाव का पता लगाने के लिए इरादा है ।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने सितम्बर 2012 में सहमति व्यक्त की है कि एकत्र होने की स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा करने में आईसीटी महत्वपूर्ण हो गया है, और राज्यों का आह्वाहन किया कि " सभी व्यक्तियों के "सम्मान और पूरी तरह से सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा" और शांति से इकट्ठा होने और एकत्र होने, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, राज्य इसको सुनिश्चित करें. लोगों को समान रूप से यह संभव होना चाहिए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें, लेकिन समान रूप से वर्णित वही प्रतिबंध- धारा 2 में वर्णित- ऑनलाइन और ऑफलाइन, लागू होना चाहिए.

यह अभी भी व्याख्या के लिए काफी गुंजाइश छोड़ता है, क्योंकि कम से कम इंटरनेट ऑनलाइन कुछ बातें करने के लिए लोगों को सक्षम बनाता है जो ऑफ़लाइन में संभव नहीं थे. विशेष रूप से,कुछ अधिकारों का प्रयोग करने के लिए इंटरनेट ने आसान बना दिया है और दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करने इच्छा रखने वाले की लोगों के लिए भी आसान बना दिया है (सरकारों, व्यापार या व्यक्तियों चाहे कोई भी हो)।

संघ और एकत्र होने की स्वतंत्रता और उनके संबद्ध स्वतंत्रता पर इंटरनेट के तीन प्रमुख प्रभावों की पहचान की जा सकती है:

क) व्यक्तियों के बीच सहयोग, ख) सामूहिक एसोसिएशन, और ग) एकत्र होने की स्वतंत्रता

निम्नलिखित पैराग्राफ सामान्य शब्दों में इन का वर्णन करते हैं. कुछ और विशिष्ट मुद्दों की धारा 4 में चर्चा कर रहे हैं।

इंटरनेट का पहला बड़ा असर व्यक्ति एसोसिएशन की प्रकृति के ऊपर है- निजी और सामाजिक संबंध- जो कई इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए परिवर्तनकारी है. जिस समय यूडीएचआर और ।CCPR पर सहमति हुई थी निजी और सामाजिक संबंध मुख्य रूप से आमने सामने बैठ के होते थे- लिखित संचार के माध्यम से या वॉयस टेलीफोनी के माध्यम से. वे भी काफी हद तक आयोजित किए जाते थे -निर्दिष्ट भौगोलिक सीमा में-, या तो स्थानीय स्तर पर या देश के अंदर. कनेक्टिविटी और इंटरनेट ने निजी और सामाजिक संबंधों के लिए नया प्लेटफॉर्म प्रदान किया है विशेष रूप से ईमेल, त्वरित संदेश और सामाजिक नेटवर्क सेवाओं (जैसे फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर के रूप में) जो किए जाते हैं साइबर स्पेस में, सीमा का विस्तार करते हैं और नए रूपों के एसोसिएशन सक्रिय करने में कारक सिद्ध होते हैं. आज-कल जो लोग अब ऑनलाइन हैं और अधिक जटिल आतंरिक संबंधों के मायाजाल में उलझे हुए हैं लोगों के बड़े समूहों के साथ अलग अलग स्थानों में (दुनिया भर में साथ ही स्थानीय या राष्ट्रीय). वे तत्क्षण रिश्तों का संचालन करने में सक्षम हैं, ऑनलाइन उपकरणों की भिन्न किस्म के माध्यम से, दूरी की परवाह किए बगैर, और वे और अधिक आसानी से वे ऑफ़लाइन रिश्तों का संचालन सकता है, अनाम या छद्म नाम से सक्षमता से।

इसका परिवारों, समुदायों और अन्य समूहों के भीतर सामाजिक रिश्तों पर दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है। इसने अपनी पसंद के अन्य लोगों के साथ संबद्ध करने के लिए व्यक्तियों की क्षमता को बढ़ा दिया है, संभावित सहयोगियों का एक बहुत व्यापक

रेंज से. इसने परिवार के भीतर अलग-अलग संबंधों को विशेष रूप से प्रभावित किया है (ICCPR और ICESCR द्वारा वर्णित "समाज की स्वाभाविक और बुनियादी सामूहिक इकाई के रूप में") और diasporas के भीतर भी।. इसने अल्पसंख्यकों में व्यक्तियों के लिए यह आसान बना दिया है(यौन अल्पसंख्यकों सहित) कि मिलती जुलती विचारधारा वाले या इसी तरह उन्मुख साथियों से मिलने के अवसरों को. इसने अलग-अलग संगठनों में पुष्टि की प्रकृति को बदल दिया है (या "दोस्ती"-, ऑनलाइन सामाजिक नेटवर्क के द्वारा परिभाषित रूप में), अपमानजनक के साथ-साथ सकारात्मक संबंध के लिए गुंजाइश बढ़ा दी है.

दूसरा बड़ा असर स्वरूप का सवाल है, विशषतः सम्भाव्यताओं के बारे में, **साझा संघ** की. ज्यादातर एसोसिएशन की स्वतंत्रता की चर्चा और एकत्र होने की स्वतंत्रता की चर्चा केंद्रित होती है राजनीतिक संगठन में उनके महत्व, विशेष रूप से विरोध और राजनीतिक असंतोष के संगठन की. हालाँकि ये इन अधिकारों का एक महत्वपूर्ण आयाम है, यह केवल एक आयाम है। लोग सामूहिक रूप से कई अलग अलग कारणों से जुड़ते हैं, अपराध के लिए, व्यक्तिगत दोस्ती, एक सामाजिक उद्देशय के लिए आदि। दमनकारी सरकार या प्रतिबंधात्मक सामाजिक मानदंड इन में से कुछ के बारे में चिंतित नहीं हो सकती है,- स्टाम्प एकत्रित करना या पक्षियों के दखने के लिए बनाये समूह- वे ट्रेडों यूनियनों में रुचि रख सकते हैं और नकारात्मक हो सकते हैं ट्रेड यूनियन के साथ किसानों की सहकारी समितियों, या महिलाओं, एलजीबीटी या विश्वास समूहों, और वे राजनीतिक असंतुष्टों के लिए काम कर रहे हैं या खुद उस वर्ग में आते हैं और उनको सम्भाव्य खतरों के रूप में देख सकते हैं.

इंटरनेट ने इस तरह के संघों के अंदर बातचीत की प्रकृति को बदल दिया है. इंटरनेट आम तौर पर उपलब्ध है जहाँ, विशेष रूप से औद्योगिक देशों में जहां,ज्यादातर लोगों ने उपयोग किया है, अब यह व्यापक रूप औपचारिक और सबसे अनौपचारिक संघों द्वारा एक संगठनात्मक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। वेबसाइटों को एक सुलभ सार्वजनिक प्रोफ़ाइल उपलब्ध कराने और जानकारी प्रकाशित करने के लिए उपयोग किया जाता है, और अभियानों चलाने के लिए समर्थकों / सदस्यों की भर्ती, पहले की तुलना में बहुत कम कीमत पर। अक्सर समाचारपत्रिकाएँ ऑनलाइन बुलेटिनों द्वारा प्रतिस्थापित की गई है. अनुमोदन ऑनलाइन लेनदेन के रूप में स्वचालित किया गया है. ब्लॉग और चर्चा मंचों ने, समूहों के भीतर और अधिक बातचीत की सहूलियत दी है, विशेष रूप से व्यक्तियों के बीच जो आसानी से एक दुसरे के आमने सामने नहीं हो सकते. परामर्श और मतदान प्रक्रियाएं सदस्यों के व्यापक समूहों के प्रति जवाबदेह बन सकती है.

ये संगठनात्मक परिवर्तन, राजनीतिक, राजनीतिक रूप से सक्रिय और मानवाधिकार संगठनों के साथ ही सामाजिक संगठनों जैसे ट्रेड यूनियनों आदि ,में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहे हैं. उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोनों राष्ट्रपति ओबामा के चुनाव अभियान और रिपब्लिकन चाय पार्टी आंदोलन, धन उगाहने के लिए और चुनाव प्रचार के लिए, इंटरनेट का प्रभावी इस्तेमाल करने का श्रेय दिया जाता है। राइट्स पेशेवरों ने 2012 में एक APC अनुसंधान परियोजना के लिए साक्षात्कार में इंटरनेट का कार्य निष्पादन में परिवर्तनकारी प्रभाव होने की बात कही और बताया कि वकालत और अभियान सामग्री प्रकाशित करने के लिए (और वे समूह जिनका वे समर्थन करते हैं) मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के बीच नेटवर्किंग की

सुविधा, और अभियान गतिविधि के लिए संवेग- हालांकि इसके बारे में उन्होंने यह भी महसूस किया है, कि उनके उपयोग अपर्याप्त व्यवस्थित या साहसी था.

ऑफ़लाइन संघों को अच्छी तरह से सुविधाजनक बनाने के साथ इंटरनेट ने केवल या मुख्य रूप से ऑनलाइन संघों के निर्माण में सक्षम भूमिका निभाई है। ऑनलाइन संघ उनके ऑफ़लाइन समकक्षों की तरह भौगोलिक सीमाओं द्वारा बाध्य नहीं हैं और प्रदान करती हैं अवसर औपचारिक संवाद के (अगर एक संघ यह सोचता है तो गुमनाम भागीदारी). ऑनलाइन एसोसिएशन अल्पसंख्यकों के लिए अत्यधिक सहायक हो सकता है विशेष रूप से उनके लिए जो व्यापक समाज में दोषारोपण या ज़ुल्म का सामना करता है और अधिक से अधिक समग्रता का समर्थन करता है संवेग के साथ. राजनीतिक संदर्भों में, ऑनलाइन संगठनों ने मजबूत वैश्विक आंदोलनों के उद्भव को सक्रिय किया घरेलू और विदेशों में बसे राजनीतिक समूहों के बीच संबंधों को और मजबूत किया.

अधिकारों पर इंटरनेट के अन्य प्रभावों के साथ, तथापि, यह याद किया जाना चाहिए कि इंटरनेट तकनीक का दुरुपयोग करने के साथ ही अधिकारों को सक्षम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. ऑनलाइन एसोसिएशन उन संगठनों द्वारा लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जो अधिकारों और सामाजिक कल्याण के विरोधी हैं साथ ही उन लोगों के द्वारा जो उन्हें समर्थन करते हैं. उदाहरण के लिए, आतंकवादी और आपराधिक संगठनों द्वारा कू क्लक्स क्लान, साथ ही ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा. यह जो संघ, सुरक्षा और कानून प्रवर्तन के अधिकार के बीच के रिश्ते के बारे में मुद्दों को उठाती है जिसकी चर्चा खंड 4 में गयी है.

तीसरा बड़ा असर एकत्र होने के अधिकार के बारे में, यानी एक विशेष उद्देश्य के लिए एक साथ आने के लिए लोगों के अधिकार, बशर्ते कि उद्देश्य शांतिपूर्ण. धार्मिक पूजा करने के लिए

परिवार के उत्सव, डांस हॉल में, खेल के मैदान पर या राजनीतिक विरोध में. इस संदर्भ में, सामाजिक सम्मेलन प्रदर्शनों के रूप है, जैसे कि विरोध प्रदर्शन भी एक अन्य रूप है एकत्र होने का, और विशेष रूप से (जातीय, यौन और अन्य) अल्पसंख्यकों के लिए उल्लंघन करने के विषय हो सकता है गैर राज्य के साथ-साथ राज्य तत्वों द्वारा. एकत्र होने के अधिकार में शामिल है, पर समान नहीं है शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार के.

इंटरनेट ने एकत्र होने की प्रकृति में दो बड़े बदलाव किए है, सबसे पहले, मोबाइल टेलीफोनी के साथ, इस तरीकों में से कुछ को बदल दिया है जिसमें जनसमूह की मौजूदगी परिभाषित की जाती है. इनमें से सबसे महत्वपूर्ण सभाओं में शामिल लोग अब दोनों ही व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में हो सकते हैं(मोबाइल आवाज के माध्यम से) और सामूहिक रूप से (समूह एसएमएस, समूह ईमेल और सामाजिक नेटवर्क सेवाओं के माध्यम से मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए). मोबाइल फोन और सामाजिक नेटवर्क का उपयोग करने से पहले और विरोध प्रदर्शन के दौरान गतिविधि समन्वय करने के लिए "अरब वसंत" और अन्य राजनीतिक विरोध के भीतर बगावत पर महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ श्रेय दिया गया है (यह भी नीचे देखें). मोबाइल फोन और सामाजिक नेटवर्क के संगठनात्मक मूल्य शांतिपूर्ण और हिंसक विधानसभाओं दोनों ही के लिए प्रासंगिक है, और सभी विचारों के राजनीतिक समूहों के लिए. मोबाइल फोन और सामाजिक नेटवर्क के द्वारा माइक्रो-समन्वय गैर राजनीतिक सभाओं में भी स्पष्ट है, फुटबॉल हिंसा के आयोजन के लिए और " रेव्स" पार्टी के लिए.

इंटरनेट ने भौतिक सभा को आसान बनाने के समन्वय के साथ ही साथ, ऑनलाइन गतिविधियों की सभा में गतिविधियों के नए पहलूओं को अभिनव रूप से जोड़ा है. क्या संघ है और क्या सभा इनके बीच की सीमा स्वाभाविक रूप से कुछ हद तक लचीली है. हालांकि,

ऑनलाइन सभा में शामिल हो सकता है व्यक्तियों के समूह द्वारा संयुक्त गतिविधि, एक आम उद्देश्य या उद्देश्यों का सेट साझा करने एक तरह का प्रयास, जो पहले संभव किया गया होगा भौतिक समन्वय से. उदाहरण के लिए, ऑनलाइन याचिकाओं को ऑनलाइन सभा माना जा सकता है, और अभियानों जो फेसबुक और ट्विटर जैसे सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से संगठित कर रहे हैं. कुछ राजनीतिक संगठनों, दोनों दक्षिणपंथी और वाम-पंथी नेइस तरह के अभियानों के आयोजन में अपने को माहिर साबित कर दिया है और वे कुछ देशों में सार्वजनिक बहस पर तेजी से प्रभावशाली साबित हो रहे हैं. क्राउडसोर्सिंग- बेबुनियाद ऑनलाइन व्यक्तियों से जानकारी जुटा कर एक केंद्रीय बिंदु पर लाना- उदाहरण के लिए, सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार और चुनाव की निगरानी में.

इन सामान्य सिद्धांतों से संबंधित अधिक विशिष्ट बिंदुओं की संख्या की चर्चा धारा 4 में की गयी है.

विशिष्ट मुद्दे

संघ और विधानसभा पर इंटरनेट के सामान्य प्रभावों जो ऊपर वर्णित हैं कई विशिष्ट मुद्दों को उठाते हैं. ये अलग अलग होंगे देशों के बीच, जिनकी विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना है, और समय के साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परिवर्तन के साथ, इंटरनेट और मोबाइल इंटरनेट के अंगीकरण के साथ, और उपलब्ध अनुप्रयोगों से प्रभावित होंगे. इस प्रशिक्षण मॉड्यूल में भाग लेने प्रतिभागियों को विचार करना और तुलना करना चाहिए कि कैसे इंटरनेट द्वारा लाए इन व्यापक परिवर्तनों से अपने स्वयं के संदर्भों में एसोसिएशन और सभा के अधिकारों को प्रभावित करेगा. इंटरनेट के प्रसार सहित, ऑनलाइन भागीदारी की विविधता और सार्वजनिक वचनबद्धता के लिए राजनीतिक संस्कृति के खुलेपन से यह विभिन्न देशों में संचार पर्यावरण के व्यापक पहलुओं से प्रभावित होगा.

निम्नलिखित तीन पैराग्राफ तीन और विशेष मुद्दों को रेखांकित करेगा जो अधिकांश या सभी अधिकारक्षेत्र में उन मुद्दों से उत्पन्न होती हैं।

पहला सरोकार रखता है विरोध को संगठित करने की महत्ता पर. जैसा कि ऊपर चर्चा की गयी, हाल के वर्षों में सभा को संगठित करने के लिए फेसबुक और ट्विटर जैसे सामाजिक नेटवर्क सेवाओं का उपयोग किया गया है और एसएमएस के साथ, राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों के आयोजन में इंटरनेट के सबसे अधिक प्रत्यक्ष आवेदनों में से एक है. यह वास्तव में किस हद तक विरोध को संगठित करने में सफल रहा है, को मापना मुश्किल है, और यह संभावना है कि इसमें कुछ अतिशयोक्ति भी होगी- सड़कों पर प्रदर्शन पीढ़ियों से सफल रहे हैं- सामाजिक नेटवर्क के अभाव में, लेकिन मिस्र और ट्यूनीशियाई अनुभव से अच्छी वास्तविक सबूत नहीं है- "अरब वसंत" के दौरान- कि, कम से कम फेसबुक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. ऑनलाइन सामाजिक नेटवर्क की तेजी से जानकारी फ़ैलाने की क्षमता है कि कब और कहां विरोध घटित होगा संभावित प्रतिभागियों के एक पूर्व पहचान वाले समूह के बीच (हालांकि, लगभग निश्चित रूप से उनके बारे में मुखबिरों को खबर लग जाएगी). एसएमएस और ट्विटर सूक्ष्म समन्वय के लिए विशेष रूप से प्रभावी औजार हैं, समस्याओं के लिए प्रतिभागियों के समूह को चेतावनी देने के लिए(जैसे पुलिस या सेना की इकाइयों के स्थिति), तत्काल गतिविधियों का आयोजन, या समय और स्थान को बदलने की जिनकी योजना बनाई गई थी.

यह भी सुझाव दिया गया है कि फेसबुक राजनीतिक आंदोलनों के लिए योगदान देता है लोगों द्वारा इसके पक्ष में फेसबुक पेज के माध्यम से अपनी सहमती जताकर, और निष्क्रिय रूप से इस प्रकार भागी बनकर. इस एकजुटता की भागीदारी, विरोध की गति के निर्माण में एक

भूमिका निभा सकता है, राजनीतिक गतिविधि में ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच सेतु का काम करके.

विरोध की सीमाओं के अधिकारों की पेशेवरों के बीच कुछ चर्चा हुई है- विशेष रूप से ऑनलाइन विरोध. ज्यादातर मामलों में, ऑनलाइन अभियान, याचिकाओं और अन्य गतिविधियों में ऑफ़लाइन एसोसिएशन और सभा के बीच सामंजस्य है. हालांकि,कुछ मामलों में, इंटरनेट कार्यकर्ताओं के समूहों ने साधनों के माध्यम से राजनीतिक या प्रचार उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करके हैकिंग को शामिल किया है, विशेषतः सरकारों की वेबसाइट,विशिष्ट वेबसाइटों या वेबसाइटों के समूह जिनसे इंटरनेट कार्यकर्ता असहमत हैं या नेट की सुविधाओं पे हमला करके सरकार की प्रतिष्ठा को आंच पहुँचाना इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को रोक के(उदाहरण के लिए, सरकारी सेवाओं, सहित). इंटरनेट समुदाय के भीतर कुछ ऐसी गतिविधियों को वैध सभा के रूप में देखते हैं जो अधिकार शासन द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए, जबकि दूसरे मानते हैं दोनों- इंटरनेट सिद्धांतों और गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरों की एसोसिएशन के अधिकार की स्वतंत्रता का उल्लंघन.

एक दूसरा मुद्दा है एसोसिएशन कानून प्रवर्तन और **निगरानी** के बीच संबंधों का सवाल. जबकि इंटरनेट लोगों को संबद्ध करने के लिए सुलभता प्रदान करता है, और सभा की सुविधा जिसकी धारा 3 में चर्चा की गयी है, इंटरनेट गतिविधि जो निशान छोड़ती है उनका आवश्यक कौशल के साथ सरकारों और गैर राज्य अभिनेताओं द्वारा पीछा किया जा सकता है. निगरानी तंत्र कानून प्रवर्तन प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है, भिन्न कानूनी बाधाओं के अधीन सभी देशों में अपराध का पता लगाने के रूप में. सरकारों द्वारा निगरानी

तंत्र नजर रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है या राजनीतिक असंतोष या संघों के व्यवहार को दबाने जैसे यौन अल्पसंख्यकों या विश्वास समूहों के लोगों के रूप में.

निजी संस्थाएं भी उन समूहों या प्रतिष्ठानो जिसका विचार या व्यवहार वे विरोध करते हैं, की निगरानी कर सकते हैं सरकारों के साथ मिलके या उनकी इच्छा के खिलाफ.

संघ और सभा की अधिक से अधिक स्वतंत्रता को अच्छी तरह से सक्षम करने के रूप में इंटरनेट ने दमनकारी सरकारों के लिए यह आसान बना दिया है कि वे उन समूहों या प्रतिष्ठानो जिसका विचार या व्यवहार वे विरोध करते हैं पर निगरानी कर सकते हैं और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं. कई व्यक्तियों को कम सतर्क हैं ऑनलाइन की उनकी व्यक्तिगत जानकारी के साथ बनिस्बत ऑफ़लाइन. फलत:, एपीसी द्वारा पेशेवर अधिकार के साक्षात्कार के शब्दों में: "अतीत में, गुप्त पुलिस को आवश्यकता होती थी आपकी सम्पत्ति पर अतिक्रमण की या गिरफ्तारी की आप से पूछताछ या आपके साथियों की पहचान करने के लिए; अब सिर्फ जरूरत है आपके फेसबुक पेज को देखने की. कई सरकारों ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) और ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं(OSP) से व्यक्तियों और संगठनों के इंटरनेट रिकॉर्ड का उपयोग करने की मांग की है .

संघ की स्वतंत्रता पर इसका भी एक दहशतात्मक प्रभाव पड़ सकता है. ऑनलाइन व्यवहार की निगरानी के लिए सरकारों द्वारा जो तंत्र इस्तेमाल किया जा सकता है, वो अपराध का पता लगाने के लिए इस्तेमाल राजनीतिक दमन के प्रयोजनों से थोड़ा ही अलग हैं। इन्होंने गोपनीयता और डेटा संरक्षण करने के अधिकार- राज्य और निजी कंपनियों के बीच संबंधों सहित(ISPs- OSPs)- से संबंधित मुद्दों को भी उठाया है , विशेषतः व्यक्तिगत डेटा जो इन कंपनियों के पास है.

तीसरा मुद्दा ऑनलाइन अभिव्यक्ति और संघ में गुमनामी और छद्म नाम के प्रयोग की भूमिका के का सवाल का है. ये बहुत ही विभिन्न प्रयोजनों की सेवा कर सकते हैं. अधिकांश अधिकार कार्यकर्ताओं ने गुमनामी और छद्म नाम के प्रयोग का समर्थन किया है क्योंकि गुमनामी और छद्म नाम के प्रयोग से लोगों को सक्षम कर सकते हैं सरकार या गैर सरकार के खिलाफ ऑनलाइन गतिविधियों में भाग लेने के लिए(जैसे एक नशे के कार्टेल के खिलाफ) खतरे में डालने गिरफ्तारी या प्रतिशोध के बिना. इस तरह के उच्च - जोखिम की स्थितियों में, गुमनामी में और छद्म नाम के प्रयोग से एकजुटता और गुप्त विपक्ष के संगठन को सुविधाजनक बनाने के(एसोसिएशन या विधानसभा) मानव अधिकारों और व्यक्तियों और समुदायों दोनों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए मदद कर सकते हैं. दूसरी ओर, गुमनामी और छद्म नाम के इस्तेमाल उन लोगों द्वारा भी किया जाता है, जो व्यक्तियों या समाज को नुकसान पहुँचाने की कोशिश ढूंढते रहते हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी और बच्चों के यौन संवारने में स्पष्ट रूप से सबसे अधिक है. गुमनामी और छद्म नाम के प्रयोग की सकारात्मक भूमिका के साथ साथ इन चुनौतियों पर विचार करने की आवश्यकता है.

सारांश

संघ और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता को अंतरराष्ट्रीय अधिकारों शासन द्वारा कतिपय निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन मान्यताएं प्रदान की गयी हैं. इनमें एक दूसरे के साथ संबद्ध करने के लिए व्यक्तियों के अधिकार शामिल हैं, उनके अपने चुनने के समूहों में एक साथ काम करने और विरोध सहित सामूहिक गतिविधि को व्यवस्थित करने के लिए अधिकार शामिल हैं. अधिकार शासन विशेष रूप से धार्मिक और अल्पसंख्यक समूहों और ट्रेड यूनियनों के लिए एसोसिएशन और विधानसभा के विशेष अधिकारों को भी परिभाषित करता है। इंटरनेट

बहुत फार्म और सामूहिक संघों में काम करते हैं और विरोध सहित सामूहिक गतिविधि शुरू करने के लिए, अन्य व्यक्तियों के साथ संबद्ध करने के लिए व्यक्तियों की क्षमता में इजाफा किया है. इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान का अधिकार के रूप में अन्य अधिकारों के क्रियान्वयन में मदद की है. हालांकि, इंटरनेट की क्षमता ने संघ और सभा की सुविधा के लिए मदद की है फिर भी इंटरनेट का प्रयोग दूसरों के अधिकारों के उल्लंघन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इंटरनेट की प्रकृति का मतलब है कि सरकारों के लिए यह संभव है कि, वे सामाजिक और राजनीतिक समूहों की अधिक प्रभावी निगरानी शुरू कर सकते हैं जो उत्पीड़न के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इंटरनेट, संघ और सभा के बीच रिश्ता इसलिए जटिल है, और अंतरराष्ट्रीय शासन में निर्धारित अधिकारों की, क्रियान्वयन और प्रवर्तन के रचनात्मक प्रयोग में नवीन चुनौतियाँ उत्पन्न करता है.